मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 172/2025

1. सरताज सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख साकिन 17 एलजीडब्ल्यू भारेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कौर सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख साकिन 17 एलजीडब्ल्यू भारेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. गुरदेव कौर पत्नी प्रीतम सिंह जाति जटसिख 17 एलजीडब्ल्यू भारेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बख्तावर सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख 17 एलजीडब्ल्यू भारेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,49(क) आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय

डिक्री

दिनांक :– 25/09/2025

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री औंकार सिंह अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की **धारा 88,49(क)** के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर विनियम की घोषणा की जाती है कि –

1. **वादी सं.1 सरताज सिंह को प्राप्त भूमि**–तहसील पीलीबंगा के 17 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 34/27 के प.नं. 7/292 (28) किला नं. 21 ता 24, 25/1, 25/2 की 1.265 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानी 0.421 हैक. व चक 17 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 54/40 के प.नं. 7/292 (28) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.265 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 2/9 हिस्सा यानी 0.2811 हैक. भूमि। उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 का नाम व हिस्सा कल्मजन कल्मजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

2. **वादी सं. 2 कौर सिंह को प्राप्त भूमि**–तहसील पीलीबंगा के चक 17 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 16/18 के प.नं. 14/29[illegible] (17) किला नं. [illegible] 19, 22/1, 22/2 की [illegible] हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार [illegible]कार घोषित किया जाता है [illegible] भूमि में से प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन कल्मजन किया जावे।

3. **प्रतिवादी सं. 1 गुरदेव कौर प्राप्त भूमि**– तहसील सूरतगढ़ के चक 12 एलकेएस के खाता सं. 21/19 के प.नं. 13/288 (42) किला नं. 4/1, 712, 14/1, 17/1, 24/1 की 0.446 हैक. नहरी खातेदारी व चक 12 एलकेएस के खाता सं. 20/3 के प.नं. 13/288 (42)

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 की 1.012 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त भूमि में से वादी सं. 2 का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जावे।

4. **प्रतिवादी सं. 2 बख्तावर सिंह को प्राप्त भूमि**–तहसील पीलीबंगा के चक 17 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 107/73 के प.नं. 7/292 (28) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2 की कुल 1.265 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी में वादी सं.1 के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा यानी 0.8433 हैक. भूमि का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है उक्त भूमि में से वादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/9/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा